पत्र संख्या–बी–1–5–बजट/2019–20 05 वाणिज्य कर

कार्यालय एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर,
(बजट अनुभाग)
लखनऊः दिनांक : 01 अप्रैल, 2019

समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः–अनुदान संख्या–90 के अन्तर्गत लेखा संवर्ग/मनोरंजन कर निरीक्षकों का माह–मार्च, 2019 का वेतन बजट आवंटन की प्रत्याशा में न किये जाने विषयक।

कृपया शासन की अधिसूचना संख्या–452/11–3–2019–103/2017 दिनांक 09 मार्च, 2019 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या–624/11–3–2018–103/2017 दिनांक 24 अप्रैल, 2018 के क्रम में आमोद एवं पणकर निरीक्षकों को वाणिज्य कर विभाग में मृत संवर्ग के रूप में निरीक्षक संवर्ग का गठन करते हुए उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम की धारा–3(एच) के साथ सपठित धारा–4(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4200/– तथा पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक लेवल 6 के पद पर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 में निरीक्षक के पद पर संविलीयन कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि अनुदान संख्या–90 के अन्तर्गत शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु कोई बजट का प्राविधान नहीं किया गया है, अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि लेखा संवर्ग/मनोरंजन कर निरीक्षकों का माह–मार्च, 2019 का वेतन बजट आवंटन की प्रत्याशा में किसी भी दशा में अग्रिम आदेशों तक न किया जाये।

(शैलेश गिरि)
एडीशनल कमिश्नर, (लेखा),
वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश